न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 06/24

सन् 2024

आरसीएमएस संख्या 2024/42

बउनवानी :–1. रामचरण जागा पुत्र श्री बद्रीलाल जागा निवासी ग्राम पाडली तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रमेश जागा पुत्र श्री बंशी जागा निवासी ग्राम पाडली तहसील सवाईमाधोपुर

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे जैरकार राजस्व वाद संख्या 60/2020 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी रमेश बनाम रामचरण अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थित: 1. श्री नवीन शंकर नागर — वकील प्रार्थी

2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :–

दिनांक 24.7.2024

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 60/2020 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी रमेश बनाम रामचरण जागा अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलब की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी के विरूद्व एक दावा व टी.आई. प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर रखा है अप्रार्थी एक चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा भू माफियाओं से मिला हुआ है प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी को उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के सिविल लाईन स्थित बंगले पर आते जाते देखा है जिससे प्रार्थी को यह विश्वास हो गया है कि उक्त वर्णित प्रकरण में प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नही है, क्योकि प्रार्थी रमेश जागा भू माफियोओं से मिला हुआ है तथा ऐलानिया गांव मे यह कहता है कि अब की बार रामचरण जागा को उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे चल रहे मुकदमे मे हराकर ही रहूँगा। उक्त प्रकरण में उपजिला कलेक्टर ने नियत दिनांक 11.3.2024 से आगामी पेशी 12.6.2024 नियत की गयी थी किन्तु पत्रावली को बीच में ही निकाल कर सुनवायी हेतु दिनांक 15.3.2024 नियत की इसके [illegible] नियत की है इस प्रकार बार बार तारीख पेशी बदलना एवं नजदीकी तारीख पेशी देने [illegible] प्रार्थी को यकीन हो गया कि उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी [illegible] प्राप्त होने की उम्मीद नही है। इसलिए प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] जाकर अधीनस्थ न्याया[illegible] जैरकार उक्त वाद संख्या 60/2020 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषे[illegible]ा को दीगर न्यायाल[illegible]मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:21:32 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मुझ अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरूद्व बेदखली का दावा उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर मे पेश किया हुआ है उक्त दावे के निर्णय मे देरी करने की गरज से प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र झूठें एवं निराधार तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। आदेशिका मे बार–बार तारीख बदलने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा किये गये की कथन कीद पुष्टि भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से नही हो रही है क्योकि 6.12.2024 से 22.3.2024, 27.6.2024, 9.7.2024 तक की आदेशिका मे कही पर कटिंग नही हो रही है जिससे आदेशिका मे कांट छांट कर तारीख पेशी बदलने की पुष्टि नही होती है। अतः बेबुनियाद तथ्यो पर आधारित यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है इसलिए उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा भी अपनी टिप्पणी मे अंकित किया प्रार्थी द्वारा न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए यहं प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है क्योकि पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो की पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है ओर ना ही उक्त प्रकरण की आदेशिका मे किसी प्रकार की कोई कटिंग नही की गयी है। फिर भी उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है तथा अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार दावा संख्या 60/2020 की आदेशिका मे किसी प्रकार की कटिंग नही है। उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार प्रकरण की कार्यवाही को बाधित कर प्रकरण के निस्तारण मे देरी करने की गरज से निराधार तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय कि किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण साक्ष्य, सबूतो एवं दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है किसी के दबाव अथवा व्यवहार से नही किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण की विधिवत सुनवायी की जा रही है। वकील प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये आरोपो की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार नही होती है। इसलिए उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:21:32 IST
Reason: SelfAttested

(डी0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner